रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082026-275713
CG-DL-E-24082026-275713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4466] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948
No. 4466] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

का.आ. 4649(अ).— यह कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कार्बोसल्फान कीटनाशी के निरंतर अथवा अन्यथा उपयोग की जांच करने हेतु 14 जनवरी 2026 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसने विस्तृत जांच के पश्चात 12 जून 2026 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की;

और यह कि, केंद्र सरकार ने कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति के साथ परामर्श किया है।

और यह, पंजीकरण समिति ने अनुशंसित अध्ययनों, आंकड़ों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को प्रस्तुत करने की स्थिति से संबंधित अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है;

और यह कि, पंजीकरण समिति ने अपनी सिफारिश में यह नोट किया है कि कार्बोसल्फान एक आंतरिक रूप से अत्यधिक खतरनाक कार्बामेट कीटनाशी है जो तीव्रता से कार्बोफ्यूरान में मेटाबोलाइज़ हो जाता है, जो एक अत्यधिक विषैला मेटाबोलाइट है जो गंभीर कोलिनेस्टेरेज अवरोध और तीव्र प्रणालीगत विषाक्तता के लिए उत्तरदायी है; पक्षियों, परागणकों,

जलीय जीवों और अन्य गैर-लक्षित प्रजातियों के लिए कार्बोसल्फान की अत्यधिक विषाक्तता है, साथ ही कई देशों में इसके उपयोग को प्रतिबंधित या निषिद्ध करने वाली अंतरराष्ट्रीय विनियामक कार्रवाइयां की गई हैं; यह भी देखा गया कि यद्यपि एट्रोपिन और अन्य सहायक उपाय रोगसूचक प्रबंधन के लिए उपलब्ध हैं, कार्बोसल्फान के विषाक्त प्रभावों को उलटने के लिए कोई विशिष्ट एंटीडॉट मौजूद नहीं है; कार्बोसल्फान का निरंतर उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बड़े खतरे उत्पन्न कर सकता है;

और, यह कि पंजीकरण समिति ने भारत में कार्बोसल्फान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने अर्थात कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत कार्बोसल्फान के निर्माण, आयात, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है;

और, यह कि केंद्र सरकार, पंजीकरण समिति की रिपोर्ट पर विधिवत विचार करने के उपरांत इस बात से संतुष्ट है कि कार्बोसल्फान कीटनाशी उपयोग से मनुष्यों और जानवरों को खतरा होने की संभावना है, जिससे तत्काल कार्रवाई करना उचित या आवश्यक हो जाता है;

अतः, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उपधारा 2 सपठित धारा 28 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप आदेश को उन सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है जो इससे प्रभावित हो सकते हैं और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप आदेश पर इस आदेश वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में किसी भी व्यक्ति से तीस दिनों की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001 को भेजा जा सकता है।

प्रारूप आदेश

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इस आदेश को कार्बोसल्फान प्रतिबंध आदेश, 2026 कहा जा सकेगा;

(2) यह राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. कार्बोसल्फान कीटनाशक पर प्रतिबंध:

(1) इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से कोई भी व्यक्ति कार्बोसल्फान का आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग नहीं करेगा।

(2) पंजीकरण समिति कार्बोसल्फान के लिए जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस ले लेगी।

(3) यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाला कोई व्यक्ति खंड (2) में निर्दिष्ट पंजीकरण समिति को प्रमाणपत्र तीन महीने की अवधि के भीतर लौटाने में विफल रहता है, तो उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(4) उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्बोसल्फान के लिए जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र इस आदेश की तिथि से रद्द माने जाएंगे।

(5) प्रत्येक राज्य सरकार उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत ऐसे सभी कदम उठाएगी, जिन्हें वह राज्य में इस आदेश के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

[फा. सं. 12078/01/2023-पीपी-I]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2026

S.O. 4649(E).— Whereas the Central Government in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare constituted an Expert Committee on 14 January 2026 to examine the continued use of or otherwise of Carbosulfan insecticide registered in India which, after detailed examination submitted its report to the Central Government on the 12 June 2026;

And whereas, the Central Government, has undertaken consultation with the Registration Committee constituted under section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968).

And whereas, the Registration Committee has submitted its recommendation with regard to status of submission of recommended studies, data and safety concerns;

And, whereas, the Registration Committee has noted in its recommendation that Carbosulfan is an intrinsically highly hazardous carbamate insecticide which is rapidly metabolised to carbofuran, a highly toxic metabolite responsible for severe cholinesterase inhibition and acute systemic toxicity; significant toxicity of Carbosulfan to birds, pollinators, aquatic organisms and other non-target species, together with international regulatory actions restricting or prohibiting its use in several countries; also noticed that although atropine and other supportive measures are available for symptomatic management, no specific antidote exists to reverse the toxic effects of Carbosulfan; continued use of Carbosulfan is likely to pose significant hazards to public health and the environments;

And, whereas, the Registration Committee has recommended complete prohibition of Carbosulfan in India, i.e. an immediate ban on the manufacture, import, transport, distribution, sale, and use of Carbosulfan under the Insecticides Act, 1968;

And, whereas, the Central Government, after duly considering the report of the Registration Committee is satisfied that the use of Carbosulfan insecticide is likely to involve risk to human being and animals as to render it expedient or necessary to take immediate action;

Now therefore, the Draft Order, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft order shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft Order before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government.

Any objection or suggestion in respect to the said draft Order may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT ORDER

1. Short title and commencement - (1) This Order may be called the Banning of Carbosulfan Order, 2026;

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. Prohibition of Carbosulfan Insecticide:

(1) No person shall import, manufacture, sale, transport, distribute and use Carbosulfan from the date of publication of this Order.

(2) The Registration Committee shall call back the certificates of registration granted for the Carbosulfan.

(3) If any person who holds the certificate of registration fails to return the certificate to the Registration Committee, referred to in clause (2), within a period of three months, action shall be taken under the provisions contained in the said Act.

(4) The certificates of registration for the Carbosulfan granted under section 9 of the said Act shall be deemed to be cancelled from the date of this order.

(5) Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules framed thereunder, as it considers necessary for the execution of this order in the state.

[F. No. 12078/01/2023-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.24 22:18:37 +05'30'